

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**आदेश**

का0आ0सं0-11/टी0बी0(स्था0)-09/2016-...10.6.3.(11) पटना, दिनांक- 25/10/2018

माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-11848/2016 ललन राम एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, CWJC No.-20517/2016 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, CWJC No.-11905/2017 श्री भगवान सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, समादेश याचिका संख्या-4592/2017 सुधीर प्रसाद बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, समादेश याचिका संख्या-5632/2017 शिवचन्द्र राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, समादेश याचिका संख्या-1484/2018 बाबुधन राम बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य एवं समादेश याचिका संख्या-3128/2018 राम प्रताप राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-01.09.2005 के बाद नियुक्त याचिकाकर्तागण के द्वारा समादेश याचिका संख्या-20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-11.02.2016 को पारित न्यायादेश के आधार पर पुरानी पेंशन योजना की मांग एवं संबंधित पदों पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि से वैचारिक लाभ की मांग हेतु उक्त याचिकायें दायर की गई थी।

2. उल्लेखनीय है, कि CWJC No.20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य निम्नांकित बिन्दुओं की मांग हेतु दायर किया गया था:-

- (i) दिनांक-19.02.2002 के प्रभाव से यक्ष्मा सेवकों एवं दिनांक-27.02.2002 से चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति तिथि का निर्धारण
- (ii) मेघा सूची के अनुसार वैचारिक लाभ देते हुए वरीयता का निर्धारण
- (iii) CPF के बदले पुरानी पेंशन योजना (GPF) का लाभ
- (iv) दिनांक-19.02.2002 के प्रभाव से यक्ष्मा सेवक तथा दिनांक-27.02.2002 के प्रभाव से चतुर्थवर्गीय कर्मियों के वेतन का निर्धारण एवं
- (v) नियुक्ति की तिथि दिनांक-26.11.2005 से सभी वित्तीय लाभ उपलब्ध कराना

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उपर्युक्त वर्णित समादेश याचिकाओं का निष्पादन करते हुए याचिकाकर्ताओं को राजनारायण एवं अन्य के समान ही उक्त लाभ देने हेतु विचारोपरान्त सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

4. संबंधित मामले में वित्त विभागीय परामर्श एवं सहमति के पश्चात् दिनांक-24.08.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या 19 में सम्मिलित किया गया एवं उसकी स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त के आलोक में निम्नांकित समादेश याचिकाओं के कुल 19 (उन्नीस) याचिकाकर्ताओं के साथ ही समादेश याचिका संख्या-3128/2018 के क्रमांक 3 पर अंकित याचिकाकर्ता श्रीमती सुमित्रा देवी के पति स्व० रामबहादुर राय को पुरानी पेंशन योजना का लाभ एवं संबंधित पदों पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि से वैचारिक लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- CWJC No.11848/2016 ललन राम एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, के याचिकाकर्तागण : -

1. श्री ललन राम, पिता-स्व० खखन राम,



2. श्री गोपाल प्रसाद, पिता—श्री केशो महतो,
  3. श्री रविन्द्र कुमार प्रसाद, पिता— श्री शिवलगन राम,
  4. श्री मदन कुमार, पिता—श्री राम सुन्दर राम, तथा
- 2- CWJC No.20517/2016 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, के याचिकाकर्तागण :-
1. श्री राकेश कुमार, पिता— श्री दिनेश शरण राय,
  2. श्री नरेन्द्र कुमार, पिता—श्री राम नारायण प्रसाद सिंह,
  3. श्री दिलीप कुमार, पिता—श्री रामबली ठाकुर,
  4. श्री संजय कुमार सिंह, पिता—श्री बृज नन्दन प्रसाद चौधरी,
  5. श्री मजिस्टर मांझी, पिता—स्व० विदेशी मांझी,
  6. श्री प्रमोद कुमार, पिता—श्री सीताराम प्रसाद, तथा
- 3- CWJC No.11905/2017 श्री भगवान सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, के याचिकाकर्तागण :-
1. श्री भगवान सिंह, पिता—श्री रामधारी सिंह,
  2. श्री राजेश कुमार चौधरी, पिता— श्री अरुण कुमार चौधरी,
  3. श्री मनोज कुमार पासवान, पिता—श्री सरयुग पासवान,
- 4- CWJC No. 4592/2017 सुधीर प्रसाद बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य के याचिकाकर्ता :-
1. श्री सुधीर प्रसाद, पिता— स्व० रघुनन्दन प्रसाद
- 5- CWJC No. 5632/2017 शिवचन्द्र राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य के याचिकाकर्तागण:-
1. शिवचन्द्र राय, पिता— श्री मोहन लाल राय
  2. श्री राजगीर राय, पिता— श्री अशर्फी राय
- 6- CWJC No.1484/2018 श्री बाबुधन राम एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, के याचिकाकर्ता :-
1. श्री बाबुधन राम, पिता— स्व० सूरज राम
7. CWJC No.3128/2018, राम प्रताप राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य के याचिकाकर्तागण:-
1. श्री राम प्रताप राय, पिता— स्व० मौजे लाल राय
  2. कुमारी किरण, पति— मणिभूषण मल्लिक
  3. स्व० राम बहादुर राय, पत्नी— श्रीमती सुमित्रा देवी,



विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/टी०बी०(स्था०)-09/2016- .....10.6.3.(11) पटना, दिनांक- 25/10/2018

प्रतिलिपि:- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,(यक्ष्मा), अगमकुओं, पटना/अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुओं, पटना-7/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित सिविल सर्जन, / संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / संबंधित जिला यक्ष्मा पदाधिकारी / संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित सभी कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/10/18

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—11 / टी0बी0(स्था0)—09 / 2016— 1063 (11) पटना, दिनांक— 25 / 10 / 2018

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0, एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10/18

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।